

2021/209

आशा देवी फर्द अहकाम  
बनाम गोरीलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 118/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/12/21	<p>प्राणी की ओर से प्रार्थना पत्र वाकत अलाप लिखिताना का वकील श्री विजय कुमार शर्मा के द्वारा विरुद्ध अप्राणीगता पेश किया गया। रिपोर्ट सह रिस्ता मलक की जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र में स्थित सूचिवाप वरत के संकेत में केसिम 2 दर्ज है। प्रार्थना पत्र पर केसिम 2 कता को नोडिस जारी है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/12/2021 को पेश है।</p>	<p>246570 6/12/21</p>
20/12/21		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उपस्थित केसिम कता अप्राणी सं. 2 को नोडिस जारी की। श्रेष्ठ सप्त उप. बनारस 19 पेश किया। श्रेष्ठ को हज्जत तालिम व अतिरिक्त कार्यवाही हेतु दिनांक 28/12-21 को पेश है।</p>	
28/12/21		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उपस्थित वकील अप्राणी सं. 2 उपस्थित। श्रेष्ठ की हज्जत तालिम हेतु पत्रावली एवं अतिरिक्त कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 7/1/22 को पेश है।</p>	
7/1/22		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री व अप्राणी सं. 2 के वकील उपस्थित। प्रार्थना एवं उपस्थित निम्नी पहिलत वकील</p>	<p>अज्ञात पत्रावली दिनांक 7/1/22</p>

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जम्शु

*(Signature)*

*(Signature)*

अज्ञात  
पत्रावली  
दिनांक 7/1/22  
V. S. G. S. S. S. S.

2021/309

### फर्द अहकाम

कश्यपदेव बनाम भोरीमाल


नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 118/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

मी पवन कुमार शर्मा ने वरिष्ठ प्राथमिक वार  
 मूल वार से पालना पत्रा वार विडो  
 मीमा (हो जाने से मूल वार विडो होकर  
 रवाटिज हो चुका है ऐसी स्थिति में  
 उक्त पालना पत्रा वार को आगे चलाये  
 जाने का कोई औचित्य नहीं होते है  
 प्राथमिक वार पालना पत्रा आचार्य नि के  
 धारणा रवाटिज किया जाता है। पनावली  
 बम्बर से कर है।

आज्ञा दिनांक 7.1.21 को यह  
 निर्णय रक्खे जायगा में सुझाया जाता।

  
 सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर